राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर

कमांक : एफ. 24 (236) आ.कृ./प्रोसेसिंग प्लान्ट/2008–09/5030-5312 दिनांक : 11-9-09

परिपत्र

राज्य में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु निजी क्षैत्र के लिए वर्ष 2007–08 में शुरू की गई प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009–10 में भी संलग्न विवरण के अनुसार एतद् द्वारा लागू की जाती है। यह योजना अग्रिम आदेशों तक आगामी वर्षो में भी लागू रहेगी।

आयुक्त कृषि
राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ. 24 (236) आ.कृ./प्रोसेसिंग प्लान्ट/2008–09/5030-5312 दिनांक : 11-9-09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. शासन सचिव, योजना, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि भवन, जयपुर
7. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
8. समस्त जिला कलेक्टर .....
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर
10. निदेशक, विपणन निदेशालय, कृषि भवन, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान) कृषि निदेशालय, जयपुर
12. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना, प्रशासन, आदान, आईसोपाम, पौध संरक्षण, गुण नियंत्रण, जल उपयोग प्रकोष्ठ, प्रबोधन एवं मुल्यांकन) मुख्यालय जयपुर
13. निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय जयपुर
15. क्षैत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, चौमू हाउस, जयपुर
16. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार)/परियोजना निदेशक कृषि, सिंचित क्षैत्र समस्त
17. उप निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त..... को भेजकर लेख है कि योजना की जानकारी जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये एवं योजना का अपने जिले में व्यापक प्रचार प्रसार करें ।
18. उप निदेशक कृषि (विस्तार, रसायन, अभियांत्रिकी, बीज, सूचना) मुख्यालय जयपुर
19. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त
20. अध्यक्ष राजस्थान स्टेट सर्टिफाईड सीड प्रोड्यूसर एसोसियेशन, श्रीगंगानगर
21. महासचिव, सीड ऐसोसियेशन ऑफ इण्डिया, 1119–20, विशाल टॉवर, जनकपुरी, नई दिल्ली
22. सीड ग्रोअर .....

आयुक्त कृषि
राजस्थान, जयपुर

उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु निजी क्षैत्र के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009–10 एवं अग्रिम आदेशों तक आगामी वर्षो के लिये

राज्य में उच्च गुणवत्ता के बीज के उत्पादन में वृद्वि करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में बीज विद्यायन सयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये नवीन योजना वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ की गई थी। यह योजना वर्ष 2009–10 एवं अग्रिम आदेशों तक आगामी वर्षो में योजना प्रावधान अनुसार लागू रहेगी।

राज्य में निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढावा देने के लिये इस योजना के तहत बीज विद्यायन सयंत्र की स्थापना हेतु वर्ष 2009–10 एवं आगामी वर्षो में योजना प्रावधान अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2009–10 में इस योजना हेतु कृषि विभाग के बजट मद में आवश्यक वित्तीय प्रावधान कर दिया गया है।

1. **सहायता हेतु विभिन्न घटक** – योजना के तहत निम्न विद्यायन मशीनरी / उपकरण/आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने पर वित्तीय सहायता देय है।

   सीड प्री–क्लीनर, सीड क्लीनर कम ग्रेडर, इण्डेन्ड सिलिण्डर, कनवेयर सिस्टम, सीड एलीवेटर, स्पेसिपिक ग्रेविटी मापक यंत्र, सीड सेपरेटर, बीज उपचारक मशीन, बीज सुखाई संयत्र, थैला सिलाई मशीन, वेईगं मशीन, सीड होल्डिंग बिन, नमी मापक यंत्र, ऑटोमेटिक वैईग एण्ड बीज पेकिंग मशीन मय लेबर प्रिन्टर, जालिंया / चलनी, सीड टेस्टिंग लैब उपकरण, बीज गोदाम आदि।

   यह सूची प्रतिकात्मक है न कि विस्तृत। अतः उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक मशीनरी/उपकरणों, यदि कोई हो, तो उसे भी सहायता हेतु सम्मिलित किया जाएगा।

2. **वित्तीय सहायता का पैटर्न**

   उद्यमी को वित्तीय सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। यह राशि बीज विद्यायन संयंत्र की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होगी। अनुदान राशि विभाग द्वारा ऋण प्रदान करने वाले बैंक को हस्तान्तरित की जाएगी जिसकी प्रकिया निम्न अनुसार रहेगी।

   1. बीज विद्यायन केन्द्र की एक ईकाई की स्थापना पर पूंजीगत इकाई लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू0 10.00 लाख जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। यह राशि बीज विद्यायन संयंत्र की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक एवं शेडयूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के माध्म से उपलब्ध होगी। अनुदान राशि विभाग द्वारा ऋण प्रदान करने वाले बैंक को हस्तान्तरित की जाएगी।
   2. बैक एण्डेड सब्सिडी दो बराबर किश्तों में निम्न अनुसार जारी की जाएगी।
      (अ) प्रथम किश्त बैंक द्वारा परियोजना हेतु ऋण स्वीकृति के समय।

(ब) द्वितीय किश्त – बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की अंतिम किश्त उद्यमी को भुगतान करने के बाद।
(स) राज्य सरकार द्वारा जारी बैक एण्डेड सब्सिडी को बैंक द्वारा डिपोजिट एकाउन्ट में रखा जावेगा तथा इस राशि पर बैंक द्वारा ब्याज देय होगा।
(द) उद्यमी के द्वारा ऋण एवं ब्याज राशि का 50 प्रतिशत बैंक को पुर्नभरण करने के पश्चात् बैंक में जमा अनुदान राशि मय ब्याज सहित समायोजन किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत देय अनुदान राशि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में नियमानुसार देय सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

3. **नोडल एजेन्सी** – योजना की कियान्विति हेतु कृषि विभाग, राजस्थान, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
4. **परियोजना स्वीकृति एवं मॉनिटरिगि हेतु कमेटी**

योजना की कियान्विति में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी। निजी क्षेत्र के सम्भावित लाभार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति, कियान्विति एवं गुणवत्ता की मॉनिटरिंग निम्न राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा की जाएगी। कमेटी की बैठक आवश्यकतानुसार परन्तु कम से कम तीन माह में एक बार आयोजित की जाएगी:

1. आयुक्त कृषि, राजस्थान	अध्यक्ष
2. उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) राज0	सदस्य
3. निदेशक, राज0 राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणिकरण संस्था	सदस्य
4. मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य
5. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान)	सदस्य सचिव

बीज विद्यायन केन्द्र स्थापना से संबंधित कार्यो का भौतिक सत्यापन निम्न कमेटी द्वारा किया जाएगा।
1. उप निदेशक कृषि (बीज)
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार – संबंधित जिला)
3. निदेशक, राज0 राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणिकरण संस्था के प्रतिनिधि

स्वीकृत एवं लाभान्वित विद्यायन केन्द्र को उत्पादित एवं विद्यायित बीज की मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में कृषि विभाग को आगामी पांच वर्ष तक नियमित रूप से देनी होगी।

5– पात्रता एवं प्राथमिकता
5.1– पात्रता

योजना का लाभ–निजी क्षेत्र की बीज उत्पादक कम्पनी/वैयक्तिक बीज उद्यमी/स्वयं सहायता समूह/गैर सरकारी संस्था को दिया जाएगा।

5.2 प्राथमिकता

वे जिले जहॉ अभी तक बीज विद्यायन केन्द्र स्थापित नहीं है।
कृषि स्नातक, बीज व्यापार में प्रशिक्षित व अनुभवी व्यक्ति।

6 प्रकिया एवं शर्तें

6.1 इस योजना के अन्तर्गत सहायता उन्हीं नवीन बीज विद्यायन केन्द्रों पर ही देय होगी जो योजना की घोषणा के बाद बनाये जा रहे है। वर्तमान में विद्यमान विद्यायन केन्द्रों के आधुनिकीकरण पर किसी प्रकार की सहायता देय नहीं होगी। यदि विद्यमान विधायन केन्द्र के परिसर में एक पूर्ण रूप से नया विधायन केन्द्र स्थापित किया जाता है तो ऐसे नए विधायन केन्द्र पर भी सहायता देय होगी।

6.2 अनुदान राशि / वित्तीय सहायता की गणना

- सामान्यतया विधायन क्षमता कम से कम 3 टन प्रति घंटा की होनी आवश्यक है।
- समस्त सीड प्रोसेसिंग मशीनरी एवं उपकरणों की वास्तविक कीमत को गणना हेतु शामिल किया जाएगा।
- बीज गोदाम निर्माण हेतु निर्माण की प्रचलित दर से गणना की जाएगी।

7. आवेदन एवं स्वीकृति प्रकिया

- इच्छुक लाभार्थी बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नोडल एजेन्सी (कृषि विभाग) व संबंधित शेडयूल्ड कॉमर्शियल बैंक को प्रस्तुत करेगें। भारत सरकार की विद्यमान योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले आवेदन की प्रतियां भी नोडल एजेन्सी (कृषि विभाग) द्वारा स्वीकार्य होगी।
- लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट में बीज उत्पादक कृषकों का विवरण, चयनित गांव की संख्या, चयनित फसल एवं बीज उत्पादक कृषकों से किया गया एग्रीमेन्ट आदि का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।
- बैंक द्वारा उक्त परियोजना का वित्तीय मुल्यांकन बैंक के नियमानुसार किया जाकर एक प्रति आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की जाएगी।
- राज्य स्तरीय कमेटी के निर्णय के पश्चात् कृषि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट के संबंध में संबधित बैंक को निर्णय से अवगत करवाया जाएगा। तदनुसार अनुदान राशि संबंधित बैंक को जारी की जाएगी।

आयुक्त कृषि,
राजस्थान, जयपुर